प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 21.06.2025**

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 191/25 धारा 105 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बांस का एक डंडा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

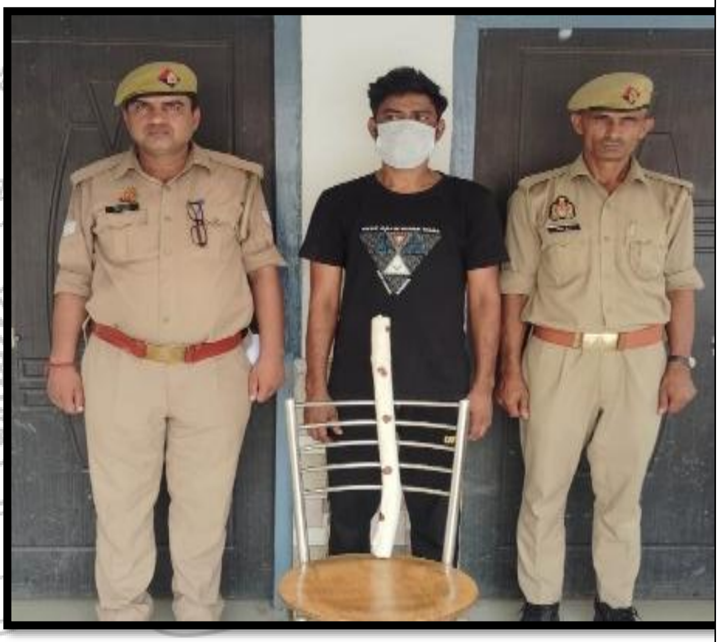

दिनांक 14.06.25 को थाना खेकडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सराजू पुत्र बस्सो 2.रियाजू पुत्र बस्सो 3.शहजाद पुत्र बस्सो 4.जिनत पुत्री बस्सो निवासीगण पट्टी गिरधरपुर निकट पाण्डव पुलिया कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र मनीष उर्फ सीटू को बहला फुसलाकर उसकी आईडी पर एसी फाइनेंस लेकर अपने घर पर लगा ली और मनीष द्वारा किस्त जमा करने को कहा गया तो अभियुक्तों द्वारा किस्त जमा नही की गई। जिससे वादिया के पुत्र मनीष द्वारा मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 191/25 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 108 बीएनएस का विलोप कर धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 191/25 धारा 105 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त क बांस का डंडा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रियाजू पुत्र बस्सो निवासी पट्टी गिरधरपुर, पाण्डव पुलिया, कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- बांस का एक डंडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2. का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

3. का0 247 निशान्त शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा   दिनाँक 21.06.2025

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त खलील पुत्र नजीर निवासी रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना खेकडा

2-है0का0 03 मनोज कुमार थाना खेकडा

3-का0 213 दीपक थाना खेकडा

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक-21.06.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 131/25 धारा 137(2)/61/74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 131/25 धारा 137(2)/61/74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को दिनांक 17-06-2025 को थाना दोघट पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 युवनीश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 301 जितेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक 21.06.2025**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 168/2025 धारा 333/115(2)/109/351(2) बीएनएस 2023 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण /कार्यवाही -

दिनांक 21.06.2025 को वादी श्री कोमल पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत के घर पर आकर अभियुक्तों 1.रितिव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत व दो अन्य लडके नाम पता अज्ञात के द्वारा मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से फायर किया गया। वादी व जनता द्वारा मौके पर अभियुक्त रितिव उपरोक्त को पकड लिया गया व अन्य दो अभियुक्त भाग गये। वादी व जनता के लोगों द्वारा अभियुक्त रितिक पुत्र ओमपाल को थाना दोघट पर लाया गया। थाना दोघट पुलिस द्वारा अभियुक्त रितिव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 168/2025 धारा 333/115(2)/109/351(2) बीएनएस 2023 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रितिव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 334 मुनीदेव थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-एचजी 496 मंगतराम थाना दोघट जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 21.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 349/2025 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 03 मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.06.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री ब्रजपाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त विवेक पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा आवेदक के भट्टा KBF ग्राम बन्दपुर से तीन मोबाइल फोन चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 349/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 349/2025 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त विवेक को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 03 मोबाइल फोन बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ौत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विवेक पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-का0 307 पवन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-है0का0 818 इल्यास थाना बागपत जनपद बागपत।

7-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 21.06.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 176/2025 धारा 197/353(2) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.06.2025 को थाना बिनौली पर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मोहम्मद जरीफ उर्फ जारीफ शेख पुत्र बिलाल निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा अपने ट्वीटर हैंडल @Jarifshaikh4 पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पर अशोभनीय भड़काऊ पोस्ट की गयी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 176/25 धारा 197/353(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 176/25 धारा 197/353(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहम्मद जारीफ उर्फ जारीफ शेख पुत्र बिलाल निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हिमान्शु सागर थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 21.06.2025**

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.गौरव पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्नोई थाना रमाला जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-का0 75 अंकुर मलिक थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला   दिनाँक 21.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सौरभ पुत्र राकेश निवासी ग्राम पलडी खुर्द थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत

3-का0 1043 सुनील थाना रमाला जनपद बागपत